FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मोतीराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी आगेवा तहसील जैतारण		1. पुखराज पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी आगेवा 2. उप पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण 3. संग्रामराम पुत्र पुनाराम जाति जाट निासी झुंझण्डा तहसील जैतारण

अपील संख्या 58 / 2018

किस्म मुकद्दमा : अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/8/18	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 26/2017 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। स्थगन प्रार्थना पत्र तथा मियाद के बिन्दु पर वकील अपीलाण्ट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अन्तरिम व्यादेश पारित किया। इस आदेश की अगली तारीख पेशी को ही अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश कर दिया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर प्रकरण के निस्तारण में देरी करते हुए स्थगन की अवधि बढाई जा रही है, जो विधि सम्मत नहीं है। विधि अनुसार रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। जैर अपील आदेश से अपीलाण्ट के हक हकूक प्रभावित हो रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित कराने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो आदेश दिनांक 21.02.2017 को जारी किया गया है।	

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके पश्चात. दिनांक 11.04.2017 को ही अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। विधि अनुसार अन्तरिम रूप से पारित स्थगन आदेश का निस्तारण एक माह के भीतर किया जाना आज्ञापक है, किन्तु प्रकरण में अन्तरिम व्यादेश जारी किये जाने के पश्चात जो तारीख पेशी नियत की गई, वह आदेश जारी करने के 1½ माह पश्चात नियत की गई, जो विधि सम्मत नहीं है। यह स्थिति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3 (क) का उल्लंघन है। अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत अवश्य किया, किन्तु अपीलाण्ट ऐसा कोई यथोचित कारण प्रकट करने में असमर्थ रहे है, जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हो। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाधित होने के कारण प्राथमिक स्तर पर ही खारिज़ की जाती है एवं प्रकरण में निहित विधिक बिन्दु के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी जैतारण को निर्देश दिये जाते है कि वे जैर अपील प्रकरण संख्या 26/2017 बअनवान पुखराज बनाम मोतीराम वगैरा का एक माह के भीतर आवश्यक रूप से निस्तारण करें। निर्णय की सत्य प्रति उपखण्ड अधिकारी जैतारण को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फसैल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली	